न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

74

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 114-तीन/1996 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-7-1996 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 82/1986-87 अपील

श्रीमती रमकी पुत्री जमुना प्रसाद ब्राहमण
ग्राम धवैया तहसील हुजूर जिला रीवा । ---आवेदक

विरूद्ध

1- हनुमान प्रसाद पुत्र रघुनाथ प्रसाद
मृत वारिस
अ- श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि स्व.हनुमान प्रसाद
2- जागेश्वर प्रसाद 3- रामप्रताप पुत्रगण नारायण प्रसाद
4- रामकिशोर पुत्र नाराणण प्रसाद
मृत वारिस
क- जगदीशप्रसाद ख- गोविन्द प्रसाद ग- चन्द्रशेखर
तीनों पुत्रगण स्व. रामकिशोर
5- तीरथ प्रसाद पुत्र सरजू प्रसाद
मृत वारिस
क- रामकृष्ण ख- बालकृष्ण पुत्रगण स्व.तीरथपप्रसाद
ग- श्रीमती मलुईया पुत्री तीरथप्रसाद ग्राम रूंगवा
तहसील अमरपाटन जिला सतना
घ- श्रीमती प्रेमवती उर्फ बुटईया पुत्री तीरथप्रसाद
ग्राम दुवगवां तहसील सिरमौर जिला रीवा
ड.- फुलमतिया पुत्री तीरथप्रसाद ग्राम कोआढ़न
तहसील हुजूर जिला रीवा
च- विमलादेवी पुत्री तीरथप्रसाद ग्राम जोगनिहाई तह.रायपुर जिला रीवा

6- गिरजाप्रसाद पुत्र सरजूप्रसाद मृतक वारिस

क- महिला फुलझरिया पत्नि स्व. गिरजाप्रसाद

ख- श्रीनिवास पुत्र स्व. गिरजाप्रसाद

ग- धुरमल्ली पुत्री स्व. गिरजाप्रसाद
ग्राम खमरिया तहसील रघुराजनगर जिला सतना

घ- श्रीमती सावित्री देवी पुत्री स्व. गिरजाप्रसाद
गाम देवरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना

7- विन्ध्येश्वरी पुत्र रामानुज

8- अयोप्रसाद पुत्र कोशलप्रसाद

9- श्रीगोपाल पुत्र केमलाप्रसाद

10-धर्मदास पुत्र दामोदर प्रसाद

11- अरूणकुमार पुत्र चन्द्रमणिप्रसाद

12- कृष्णानंद पुत्र वृजनन्दन प्रसाद

13- लालमणी पुत्र ठाकुरप्रसाद

14- रामान्द पुत्र वृजनन्दन

15- भैयालाल 16- भगवानदीन पुत्रगण जमुनाप्रसाद

17- बैजनाथ 18- राजेन्द्र पुत्र भगवानदीन

19- शिवशंकर पुत्र इन्द्रजीत सभी ग्राम धवैया
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 82/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-1996 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि हनुमान प्रसाद, जागेश्वर, रामप्रसाद, रामकिशोर, तीरथप्रसाद, गिरजाप्रसाद, रोहिणीप्रसाद, विध्येश्वरीप्रसाद, अयोध्याप्रसाद

श्रीगोपाल, धर्मदास, अरूण कुमार, कृष्णनंद, लालमणि, रामानंद निवासीगण ग्राम धवैया तहसील हुजूर ने नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर को आवेदन देकर बताया कि भैयालाल, भगवानदीन, बैजनाथ, राजेन्द्रप्रसाद, शिवशॅकर निवासी ग्राम धवैया ने ग्राम की आराजी नंबर 79 रकबा 44 डि. एंव 104, 106 रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिस पर से ग्रामवासी मवेशि नहीं निकाल पा रहे हैं, रास्ता खुलवाया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 1 अ- 13/81-82 पॅजीबद्ध किया तथा प्रारंभिक सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 7-9-82 पारित करके भूमि सर्वे क्रमांक 79 रास्ता पर वागढ़ लगाकर अतिक्रमण पाने से आदेश दिया कि 7 दिवस के भीतर बाड़ी हटवाकर मार्ग पूर्व स्थिति में करके रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाय। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्र.क्र. 8अ-13/ 81-82 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-11-1982 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष निगरानी की गई। अपर आयुक्त, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 114 अ-13/ 82-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-2-84 से निगरानी खारिज कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल,म0प्र0 में निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 40-पॉच/84 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-6-1984 से निगरानी निरस्त की गई।

तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर स्थल निरीक्षण करते हुये एंव पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 7-11-1985 पारित किया गया तथा रास्ता खुलवाये जाने के राजस्व निरीक्षक को आदेश दिये। नायव तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध श्रीमती रमकी एंव अन्य 5 ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 79/अ-13/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-1986 से अपील निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दि0

7-11-85 को यथावत् रखा। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 82/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-1996 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक को भूमि सर्वे कमांक 79 पर निर्मित मकान पिता से प्राप्त हुआ है जिसमें वह निवास करती है उसके व्दारा सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर मकान निर्मित नहीं कियागया है। यदि मकान निर्मित है निर्मित क्षेत्र पर भू राजस्व संहिता की धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं परन्तु किसी भी न्यायालय व्दारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मौके पर ग्रामीणों का भूमि सर्वे नंबर 74, 76,77, 110, 111 पर से आना जाना है इसके वाद भी महिला को परेशान किया जा रहा है परन्तु विभिन्न न्यायालय में बार-बार न्याय मांगने पर भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल विवाद रास्ता भूमि सर्वे कमांक 79 पर है एंव शासकीय अभिलेख में अंकित अनुसार तथा नायव तहसीलदार व्दारा ग्रामीणों की साक्ष्य में लिये गये कथनों के अनुसार भूमि सर्वे कमरंक 79 आम नागरिकों के रास्ते की भूमि है। दिनांक 27-8-82 को नायव तहसीलदार ने ग्राम में मौके पर जाकर भूमि सर्वे कमांक 79, 104, 106 का स्थल निरीक्षक कर मौका मुआयना किया है जिस समय ग्रामवासी उपस्थित रहैं । स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में नायव तहसीलदार ने इस

प्रकार अंकन किया है :-

'' सर्वे क. 79 शासकीय रिकार्ड में मार्ग इन्द्राज है जो नजरी नक्शे में लालस्याहसी से दर्शायी गयी है उनता आंशिक क्षेत्र अवरूद्ध अवस्था में मिली। अवरोध वाड़ी लगाकर उत्पन्न किया गया है। सर्वे क. 104 एंव 106 में कोई अवरोध नहीं है। ''

नायव तहसीलदार व्दारा ग्रामीणों के समक्ष किये गये स्थल निरीक्षण एंव तैयार की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित है कि आवेदक ने सर्वे कमांक 79 शासकीय मार्ग की भूमि जो सार्वजनिक प्रयोग के लिये शासन से आरक्षित है , रास्ता अवरोधित किया है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्य एंव उनके व्दारा तर्को के दौरान उठायी गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि निर्मित क्षेत्र पर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जबकि आवेदक ने स्वयं् स्वीकार किया है कि सर्वे कमांक 79 की भूमि पर उसके पिता के समय से अतिक्रमण है जबकि नायव तहसीलदार ने दिनांक 27-8-1982 को स्थल निरीक्षण में पाया है कि आवेदक ने सर्वे कमांक 79 की भूमि पर केवल बागढ़ लगाकर अतिक्रमण किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक बचाव के उद्देश्य से पिता के समय से स्थाई मकान निर्मित होना बताती है जबकि स्थल निरीक्षण पर वागढ़ लगाकर अतिक्रमण पाया गया है यदि निर्माण कार्य भी है - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 249 में व्यवस्था दी गई है कि :-

संपत्ति का अधिहरण :- **तहसीलदार व्दारा बिना प्राधिकार निर्माण की गई समस्त संपत्ति का अधिहरण किया जायेगा, उसके पश्चात् अधिहरित की गई संपत्ति का निपटारा किया जायेगा। भूमि को मूल स्थिति में लाने के लिये फसल, निर्माण या भवन को हटाया जायेगा और उसका समस्त खर्च ऐसे अधिकामक से भू राजस्व के बकाया के तौर पर** वसूल किया जायेगा।

विचाराधीन निगरानी में आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी में दर्शाए आधार तथा तर्को के दौरान व्यक्त विचार वास्तविकता के विपरीत हैं। स्थल निरीक्षण उपरांत निकाले गये निष्कर्ष एंव ग्रामीणों की ली गई साक्ष्य पर आधारित नायव

तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-11-85 में निकाले गये निष्कर्ष, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 29-11-1986 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 31-7-1996 निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण वर्ष 1982 से प्रचलित अतिक्रमण प्रकरण में आवेदक को किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7-9-82 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी में, अपर आयुक्त एंव राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी प्रकरणों में , उसके वाद नायव तहसीलदार के समक्ष पुर्नप्रचलित मूल प्रकरण में आदेश दिनांक 7-11-85 पारित करने के पूर्व, अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण में आवेदक बार-बार अवसर प्राप्त होने के वाद अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल है जिसके कारण आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 82/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-1996 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर